न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 24/2018 2020

प्रार्थी :–

1. महावीर पुत्र चतराराम
   जाति–जाट, निवासी– गौराऊ तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. प्रभुराम पुत्र तुलछाराम
2. रामधन पुत्र तुलछाराम जातियान–मेघवाल निवासीगण–गौराऊ तह. जायल
3. राजस्थान सरकार तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार बिड़ीयासर प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री एम.आर.एम. अप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित।

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी का खेत खसरा नं. 1369/816 रकबा 1.7563 हैक्टेयर में ग्राम गौराऊ में स्थित है जिसमें प्रार्थी की रहवासी ढाणी बनी हुई है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 154 भी ग्राम गौराऊ में प्रार्थी के खेत के पास में पश्चिमी दिशा में स्थित है। उक्त खेताय में के उतर दिशा में कटाणी रास्ता मार्क ए से बी ग्राम गौराऊ से मंगरासर स्थित है। प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत में कृषि कार्य व आवागमन के लिए उक्त रास्ते (गौराऊ से मंगरासर) तक अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 154 में से माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी पश्चिमी माठ के सहारे सहारे आवागमन करते रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा खातेदारी की आड़ में उक्त रास्ता बंद कर दिया है तथा प्रार्थी को अब आवागमन के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। प्रार्थी को आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता ही कटाणी

31/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

मार्ग ग्राम गौराउ से मंगरासर के निकटतम रास्ता होने से उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी नियमानुसार देय प्रतिकर राशि का भुगतान करने सहमत है। अतः प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1369/816 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 154 में से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार व घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार जायल को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मुन्नीराम मालोदिया ने वकालातनामा जवाब प्रार्थना पत्र/आपत्तिया पेश की। जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई। जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक को प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में भू.अ. निरीक्षक रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार जायल जरिये पत्रांक भू.अ./2020/2998 दिनांक 09.10.2020 के प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शा दर्शाते हुये बताया कि बिन्दू एफ. से जी (प्रार्थना में दर्शाये मार्क ए से बी) प्रार्थी द्वारा मांग किया गया प्रस्तावित रास्ता है, जिससे खसरा नं. 154 के खेत के 2 टूकड़े होते है। प्रार्थी के खातेदारी में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मार्क मौका रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार मार्क बी–सी–डी–ई–एच–आई है। जो लाल स्याही से मौका रिपोर्ट में रास्ता अलग से प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि मार्क एफ. जी. एवं बी–सी–डी–ई–एच–आई पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते 15 फीट चौड़ाई एवं 77 गठ्ठा लम्बाई के लिए खसरा नं. 154 में से 0.0184 हैक्टेयर, खसरा नं. 153 में से 0.156 हैक्टेयर, 153/816 में स 0. 0349 हैक्टेयर, खसरा नं. 1370/816 में से 0.0018 हैक्टेयर भूमि उपभोग हेतु आयेगी। उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 17768/– रू. प्रति बीघा है। मौका रिपोर्ट में भू.अ. निरीक्षक ने यह भी बताया कि पूर्व में खसरा नं. 154 में से रास्ता हेतु माननीय सिविल न्यायालय जायल में वाद संख्या 07/2019 अनुवान महावीर बनाम रामधन वगैरह चल रहा था जो खारिज किया जा चुका है।

भू.अ. निरीक्षक द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पक्षकारा की उपस्थिति बनाई जाने की ताईद मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी प्रभुराम व रामधन के हस्ताक्षर से होती है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र/आपत्तियों में प्रार्थना पत्र में वर्णित आंशिक तथ्यों को स्वीकार करते हुये शेष कथन गलत होने से अस्वीकार किया। अप्रार्थी ने जवाब में बताया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से अप्रार्थीगण के खेत में रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी के खेत में रहवासी ढाणी बनी हुई जिसमें आने जाने के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं है, प्रार्थी सुविधा के लिए रास्ता कायम करवाना चाहता है, इस हेतु प्रार्थी ने माननीय सिविल न्यायालय जायल में प्रकरण संख्या 09/2019 महावीर बनाम प्रभुराम विचाराधीन चल रहा है, जिसमें प्रार्थी ने अपने खेत के चिपते ही ग्रेवल सड़क के पेरलल में मेरे खेत में रास्ता बताकर अपने खेत को सड़क से गलत रूप से जोड़ने के लिए किया गया। उक्त वादी में प्रार्थी ने उक्त वैकल्पिक रास्ता मौजूद होना स्वीकार किया है। प्रार्थी का खातेदारी का खेत खरीदसुदा है जिसमें से आधाहिस्सा मूल खातेदार के नाम है जिसमें प्रार्थी आना जाना करता है। अतः प्रार्थी को आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभव नहीं है प्रार्थी केवल सुविधा के लिए रास्ता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जावे।

चूंकि हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है, जिसमें अप्रार्थीगण को सूचित किया जाना तथा प्रस्तावित रास्ते के संबंध में भू.अ. की मौका रिपोर्ट मार्फत प्राप्त की जानी अपेक्षित होती है जो प्राप्त होकर शमिल मिसल है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण की ओर से भी जरिये अधिवक्ता प्रारंभिक आपत्तियां प्राप्त हो चुकी है। उक्त प्रार्थना पत्र संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का होने से वकुलाय की सहमति व निवेदन पर हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम के निवेदन पर बहस वकुलाय सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी का खेत खसरा नं. 1369/816 रकबा 1.7563 हैक्टेयर में ग्राम गौराऊ में स्थित है जिसमें प्रार्थी की रहवासी ढाणी बनी हुई है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 154 भी ग्राम गौराऊ में प्रार्थी के खेत के पास में पश्चिमी दिशा में स्थित है। उक्त खेताय के उतर दिशा में कटाणी रास्ता मार्क ए से बी ग्राम गौराऊ से मंगरासर स्थित है। प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत में कृषि कार्य व आवागमन के लिए उक्त रास्ते (गौराऊ से मंगरासर) तक अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 154 में से माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी पश्चिमी माठ के सहारे सहारे आवागमन करते रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा खातेदारी की आड़ में उक्त रास्ता बंद कर दिया है तथा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

आवागमन के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। प्रस्तावित रास्ता पूर्व में चालू था जो अप्रार्थीगण द्वारा अब बंद कर दिया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता ही कटाणी मार्ग ग्राम गौराउ से मंगरासर के निकटतम रास्ता होने से उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी नियमानुसार देय प्रतिकर राशि का भुगतान करने सहमत है। अतः प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1369/816 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 154 में से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार व घोषित किया जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत, मनगढ़त तथ्यों एवं सारहीन आधारो पर पेश किया है जो कि काबिले खारिज है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से अप्रार्थीगण के खेत में रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी के खेत में रहवासी ढाणी बनी हुई जिसमें आने जाने के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं है, प्रार्थी सुविधा के लिए रास्ता कायम करवाना चाहता है, इस हेतु प्रार्थी ने माननीय सिविल न्यायालय जायल में प्रकरण संख्या 09/2019 महावीर बनाम प्रभुराम विचाराधीन चल रहा है, जिसमें प्रार्थी ने अपने खेत के चिपते ही ग्रेवल सड़क के पेरलल में मेरे खेत में रास्ता बताकर अपने खेत को सड़क से गलत रूप से जोड़ने के लिए किया गया। उक्त वादी में प्रार्थी ने उक्त वैकल्पिक रास्ता मौजूद होना स्वीकार किया है। प्रार्थी का खातेदारी का खेत खरीदसुदा है जिसमें से आधाहिस्सा मूल खातेदार के नाम है जिसमें प्रार्थी आना जाना करता है।

अतः प्रार्थी को आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभव नहीं है प्रार्थी केवल सुविधा के लिए रास्ता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जावे।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र, जवाब आपत्ति एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट 09.10.2020 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने स्वयं के खातेदारी खेत खसरा नं. 1369/816 के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 154 में से रास्ता दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रस्तावित रास्ता ग्राम ग्राम गौराऊ से मंगरासर जाने वाली सड़क तक किया गया।

मौका रिपोर्ट में बताये अनुसार यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत लिए खसरा नं. 154 में से निकटतम रास्ता है जो कि अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 154 को

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)
जायल.जिला.नागौर

Scanned with CamScanner

2 भागो में विभक्त कर रहा है। इसी प्रकार प्राथी के खातेदारी के खेत के लिए ई–डी–सी–बी–आई से एच है जो कि खसरा नं. 155 153, 153/816 में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता मार्क ए से बी (जी–एफ) अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 154 के 2 टूकड़े कर रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित रास्ता सींव की माठ पर से नहीं चाहा गया। मौका रिपोर्ट में भी वैकल्पिक रास्ता जो कि मार्क ए–बी–सी–डी–ई एवं आई–एच–बी–सी–डी–ई अनुसार उपलब्ध है। अतः प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ते का अभाव उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट के अनुसार नहीं पाया जाता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अनुसार खातेदार कृषक को निकटतम दूरी के कटाणी रास्ते से वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने पर ही रास्ता स्वीकृत अथवा घोषित किये का प्रावधान है। प्रकरण में वर्णित तथ्यों, अप्रार्थी के जवाब/आपत्ति एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन से पृथम दृष्टयां ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हाजा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क की मंशा को धुमिल करने की नियत प्रस्तुत किया जाना एवं स्वच्छ हाथों (Clean han) से नहीं आना प्रदर्शित करता है। अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खातेदारी खेत खसरा नं. 1369/816 ग्राम–गौराऊ तहसील–जायल में कृषि कार्य हेतु आवागमन व आवश्यक संसाधन लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त के ग्राम–गौराऊ तहसील जायल खेत खसरा नं. 154 में से माफिक नजरी नक्शा अनुसार 20 फीट चौड़ाई का रास्ता के संबंध में प्रार्थी पक्ष द्वारा धारा 251क के मुख्यतः बिन्दू प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव व रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता को साबित नहीं कर पाने तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथों से न्यायालय में पेश नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31/03/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

31/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner